

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क/मण्डी/प्रांगण/8/6/ब/धामनोद/414
प्रति,

भोपाल, दिनांक 22/9/2020

संयुक्त/उप संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय.....(समस्त)

विषय : प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में लाक-डाउन अवधि में संचालित केन्टीन किराया माफ करने बाबत।


-000-

प्रदेश की कतिपय कृषि उपज मण्डी समितियों के केन्टीन ठेकेदारों द्वारा कोविड-19 के कारण लाक-डाउन अवधि में केन्टीन का संचालन नहीं होने से माह अप्रैल 2020 एवं मई 2020 तक की अवधि का किराया माफ करने के संबंध में आवेदन कृषि उपज मण्डी समितियों के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं।

उक्त के संबंध में प्रशासनिक निर्णय लिये जाने हेतु समस्त संभागों से निर्धारित प्रारूप में जानकारी संकलित की जा रही है।

मण्डी का नाम	ठेकेदार का नाम	ठेके की अवधि	केन्टीन का प्रतिमाह किराया	2 माह का कुल किराया माह अप्रैल/मई	अन्य टिप्पणी
1	2	3	4		

अतः अपने संभाग के अंतर्गत मण्डियों से उपरोक्तानुसार जानकारी संकलित कर दिनांक 24.09.2020 तक ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
अपर संचालक द्वारा अनुमोदित।


उप संचालक (प्रांगण)
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल